

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



क्रमांक/अका./2017/1278

जबलपुर, दिनांक 24/10/2017

प्रति,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध,
समस्त महाविद्यालयों के
प्राचार्यगण,

विषय:- अध्ययन मण्डलों के पुर्नगठन विषयक।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र क्र./अका./2017/1251 दिनांक 29/09/2017 के द्वारा सूचित किया गया था। कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के निम्न प्रावधानों के अंतर्गत कला, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणितीय विज्ञान, जीव विज्ञान, गृहविज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा एवं आर्युविज्ञान संकाय के अधीन समस्त अध्ययन मण्डलों का पुर्नगठन किया जाना है, यथा:-

28(2)दो महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जावेंगे।

(चार) महाविद्यालयों में से महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जावेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने महाविद्यालय के उक्त संकायों के अंतर्गत सभी विषयों के स्नातकोत्तर/स्नातक स्तर के अध्यापन विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम एवं उनके पद की सूचना विषयवार भेजे। जिनकी नियुक्ति कॉलेज कोड 28 के तहत हुई है। इस कार्यालय को दिनांक 31/10/2017 तक आवश्यक रूप से भिजवाने का कष्ट करें। ताकि अध्ययन मण्डल में आपके महाविद्यालय के अध्यापकों के नाम निर्देशन पर विचार किया जा सके।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

आदेशानुसार

(डॉ० वी. भारती)
कुलसचिव,

पृ० क्रमांक/अका./2017/1278

जबलपुर, दिनांक:-24/10/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित :-

1. सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर सेंटर, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
2. कुलपति जी के सचिव, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।

कुलसचिव

740
24/10/17